न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 42/2020

अनवान :–

1. मुखी पुत्री रूपा पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी ललानिया तहसील नोहर ।

–प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. बलदेव पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
4. भागीरथ पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर हाल निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. रोहिताश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. सुरेश चौधरी पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. नरसिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. रामचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
9. जयलाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. समेस्ता देवी पुत्री ओमप्रकाश पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मांगीलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. आशकरण पुत्र रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. विद्या देवी पुत्री रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. राकेश पुत्री रामजीलाल पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. महेन्द्र पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. साहबराम पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. भीमराज पुत्र माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. कमला पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
19. सीता पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. शारदा पुत्री माता तानी पिता हीराराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
22. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Rahul

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय **दिनांकः** 14/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के ख0न0 260 की 8.208 हैक्ट भूमि ख0न0 448 की 3.920 हैक्ट कुल 2 किता की 12.128 हैक्ट भूमि स्थित है तथा रोही मौजा भूकरका के ख0न0 296 की 12.191 हैक्ट भूमि स्थित है जो उपरोक्त भूमि लेखराम वल्द गणेशाराम के नाम से दर्ज थी।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है उक्त भूमि लेखु वल्द गणेशा की अर्जित भूमि होने से उक्त वाद भूमि में लेखु उर्फ लेखराम की मृत्यु पश्चात रूपा व तानी दो बहिने सन्तान होने के कारण खातेदार काश्तकार हुवे। उक्त भूमि को पूर्व में लेखु के पूर्वजो गणेशा वल्द खिंया ने अर्जित व नौतोड किया था। रोही मौजा देईदास व भूकरका की वाद भूमि सम्बत 2008 से 2011 से जमाबन्दी व खसरा गिदारवरी में उक्त भूमि का खातेदार करवा अमरसिंह जी ठाकूर जागीरदार जसाना तहसील नोहर की भूमि थी जिसको लेखु के पूर्वजो गणेश वल्द खिंया की अर्जित व नौतोड किया था। सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी की माता रूपा दिनांक 10.4.1985 को फौत हो चुकी थी तथा सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण मृतक लेखु की पुत्री रूपा की लड़की, लड़के है यानि लेखु के दोहिता व दोहिती है मृतक लेखु के रूपा के अलावा एक पुत्री तानी थी जिसके पुत्र भागीरथ गैरसायल सं. 4 ने वाद भूमि अपने अकेले के नाम अनुचित व गलत तरीके से दर्ज करवा ली इसे पूर्व भी गैरसायल सं. 4 ने गैरसायलान सं. 1 ता 3 से मिलकर उक्त भूमि रोही मौजा देईदास की वाद भूमि का दिनांक 16.10.2002 को बअनवानी इन्द्राज बनाम भागीरथ डिकी करवा लिया जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहा अपील सं. 121/2018 बअनवानी मुखी बनाम इन्द्राज आदि दिनांक 7.9.2018 को खारीज किया जा चुका है इसलिए रोही मौजा देईदास तहसील नोहर की वाद भूमि ख0न0 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा की सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 23 ता 24 वाद भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 हिस्सा में गैरसायल सं. 4 व गैरसायलान सं. 7 ता 10 सयुक्ततः व गैरसायलान सं. 11 ता 14 सयुक्ततः व गैरसायलान सं. 15 ता 20 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। सायला गैरसायलान सं. 1 ता 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार दर्ज करवा पाने के [illegible] यों की सायला घोषणा करा पाने की अधिकारिणी है। गैरसायलान सं. 1 ता 4 [illegible] कर वाद भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदारी हक व हकुक पर विपरित व बैजा असर पड़ता है इसलिए लेखु वल्द गणेशा के फौतदगी के पश्चा तवर्ती खतौनीयात / जो शुन्य तथाकथित दस्तावेज व निष्प्रभावी है तथा सायला व दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 21 ता 22 के हक व हकुक के खिलाफ बैजा है। भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 6 के नाम अनुचित तरीके से दर्ज रहने से गैरसायलान सं. 1 ता 4 अन्य गैरसायलान से मिलीभगत करके वाद भूमि को रहन / बैय तथा मुन्तकिल करने पर आमादा है यदि गैरसायलान सं. 1 ता 4 अपने उपरोक्त कृत्य में कामयाब हो जाते है। तो सायला व दावा में दर्ज तरतीबी गैरसायलान सं. 23 ता 24 को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। इसलिए सायला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से गैरसायलान को निषिद्ध करा पाने की अधिकारी है।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायला पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता सं. 260 की 32 बीघा 9 बिस्वा भूमि ख0न0 448 की 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल तादादी 47 बीघा 19 बिस्वा भूमि तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख.न. 296 की 12.1910 हैक्ट भूमि को गैरसायलान सं. 1 ता 6 रहन/बैय करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि वसीयत के आधार पर अप्रार्थी नम्बर 4 अकेला खातेदार काश्तकार हुआ। वादग्रस्त भूमि लेखराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि थी तथा लेखराम ने अपने उपरोक्त भूमि दिनांक 22–5–1987 को अप्रार्थी नम्बर 4 के पक्ष में वसीयत कर दी तथा वसीयत के आधार पर अप्रार्थी नम्बर 4 अकेला खातेदार काश्तकार हुआ तथा अप्रार्थी नम्बर 4 को अपने उपरोक्त खातेदारी भूमि को किसी अन्य को दानपत्र व विक्रय व अन्य किसी भी माध्यम से सहमति देने का अधिकार कानूनन निर्धारित है तथा उक्त भूमि से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 22 का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही कोई सरोकार है तथा उक्त भूमि वसीयत दिनांक 22–5–87 पंजिकरण दिनांक 19–7–1995 के आधार पर अप्रार्थीगण नम्बर 4 को लेखराम से प्राप्त शुदा है जिसका कानून में स्व–अर्जित की श्रेणी में रखा जाता है तथा उक्त भूमि जब तक वसीयत सिविल कोर्ट द्वारा केन्सिल नहीं करवाली जाती है, तब तक किसी प्रकार प्रार्थीया कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है तथा ना ही लेखराम की भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 22 को कोई हक व हिस्सा है तथा प्रार्थना पत्र काबिल इखराजी है। वादग्रस्त भूमि लेखराम पुत्र गणेशाराम की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि थी तथा लेखराम ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की वसीयत दिनिांक 22–5–1987 को अप्रार्थी नम्बर 4 भागीरथ के पक्ष में कर दी थी तथा उक्त वसीयत का रजिस्ट्रीकरण उप पंजियक कार्यालय नोहर में दिनांक 19–7–1995 को किया जा चुका है [illegible] भूमि भागीरथ ने अपने पोत्र रोहिताश पुत्र कृष्णकुमार व सुरेश पुत्र इन्द्रा[illegible] तस्दीक रजिस्ट्रड करवा दिया है जिससे करवाने हेतु भागीरथ स्वतंत्र था क्योंकि उ[illegible] भूमि भागीरथ की स्वयं अर्जित भूमि थी। प्रार्थी द्वारा वसीयत व दानपत्र को खारिज करवाने हेतु वाद पेश किया गया है जो इस अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के क्षेत्राधिकार का नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णयों के अवलोकन के अनुसार प्रस्तुत निर्णयों के अवलोकन अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 88/95 निर्णय दिनांक 30.05.2000 अनवानी भागीरथ बनाम तानी को वाद वादी डिक्री किया गया है एवं प्रकरण संख्या 103/2002 अनवानी इन्द्राज आदि बनाम भागीरथ आदि दिनांक 16.10.2002 को वाद वादी डिक्री किया गया है। उक्त दोनो निर्णयों की अपील मुखी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2018 को अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नोहर के प्रकरण संख्या 88/95 अनवानी भागीरथ बनाम तानी निर्णय दिनांक 30.05.2000 को अपास्त किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2018 द्वारा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नोहर के प्रकरण संख्या 103/2002 अनवानी इन्द्राज आदि बनाम भागीरथ आदि निर्णय दिनांक 16.10.2002 को अपास्त किया गया है एवं माननीय अपर जिला न्यायाधीश स0 1 नोहर द्वारा दिनांक 31.05.2025 को पारित आदेश के मुताबिक इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है कि लेखराम द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में दिनांक 22–05–1987 को निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर भूमि का नामांतरण अपने नाम दर्ज करवाने व अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से निषिद्ध रहें तथा प्रतिवादी सं० 2 ता 4 निर्णय व डिक्री के आधार पर तथा प्रतिवादी सं० 5 व 6 अपने पक्ष में निष्पादित दानपत्र दिनांक 29–03–2016 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन बैय या अन्य किसी तरीके से मुंतकिल करने से निषिद्ध रहें एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा परित निर्णयों को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा भी निरस्त किया गया चुका है अगर अप्रार्थीगण द्वारा वाद भूमि को रहन, बैय या मुंतकिल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul

संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के के खाता संख्या 90/93 के कुल खसरे 96 की कुल तादादी 19.2280 है० भूमि में से 8013/192320 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 60/62 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.5540 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 76/66 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 13.8480 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:41:29 IST
Reason: SelfAttested